148

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3420—तीन/14 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—06—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील हटा, जिला—दमोह के प्रकरण क्रमांक 17/अ—12/2013—14

.....

1— हीरालाल
2— बालकिशन, दोनों पुत्रगण लखनलाल विश्वकर्मा
निवासी — ग्राम देवरी फतेपुर, तहसील हटा
जिला—दमोह

..... आवेदकगण

विरूद्ध

कचनारी तनय रामरतन विश्वकर्मा
निवासी — ग्राम देवरी फतेपुर, तहसील हटा
जिला—दमोह

.....अनावेदक

.....

श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0पी0 अहिरवार, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 20-7-2016 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, तहसील हटा, जिला—दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ—12/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 23—06—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम देवरी के खसरा नंबर 20/3 के सीमांकन का आवेदन—पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर जो सीमांकन दिनांक 05—06—2014 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा किया गया था,

मौके पर खसरा नंबर 20/3 के अंशभाग 0.08 हैक्टेयर पर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने संबंधी प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । जिसके आधारा पर तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति को दरकिनार करते हुये दिनांक 23–06–2014 को आदेश पारित करके सीमांकन की पुष्टि कर दी । जिससे प्रतिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । निगरानी पंजीबद्ध करके अनावेदकगण को सूचनापत्र जारी किये गये । अनावेदकगण के अधिवक्ता बिगत पेशियों पर उपस्थित होते रहे। पेशी दिनांक 28–06–2016 की भी सूचना अनावेदकगण को जरिये सूचनापत्र भेजी गई । सूचनापत्र तामील होकर वापिस प्राप्त हुये । तदुपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में बताया है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 129 में दिये प्रावधानों का पालन नहीं किया है । दिनांक 05–05–2014 के सीमांकन के सूचनापत्र दिनांक 02–06–14 को जारी किये गये, जो आवेदकगण को तामील ही नहीं कराये गये । नियमानुसार कम से कम सात दिवस पूर्व सूचनापत्र जारी होना चाहिये । इसी प्रकार जो सीमांकन दिनांक 05–06–2014 को किया गया है, वह भी आवेदकगण की अनुपस्थित में किया गया है, इसके अलावा वही तथ्य दुहराये गये जो निगरानी मेमों एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति में लेख किये गये है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति एवं संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के साथ न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 हटा, जिला–दमोह द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 11ए/2011 में पारित निर्णय दिनांक 14–05–2012, न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश हटा जिला–दमोह द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 10ए/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02–09–13 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 1125/2013 में पारित निर्णय दिनांक 07–02–2014 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है । जिनका भी अवलोकन किया गया । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि विधिवत रूप से सीमांकन किया गया है । संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का पालन करके ही सीमांकन किया गया है । आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जावे ।

4/ प्रकरण का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा भी पूर्व में रा.प्र. क्र. 4अ/12/2010–11 दिनांक 12–01–2011 के अनुसार प्रकरण की वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराया गया था । जिसमें वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के खसरा नंबरों से संबंधित पाई गई थी, जिस पर मनीराम एवं बाबूलाल आदि का कब्जा पाये जाने से आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त सीमांकन की किसी भी न्यायालय में अपील/निगरानी न होने से भी सीमांकन आज भी प्रभावशील है ।

5/ अनावेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन–पत्र के आधार पर जिस खसरा नंब 20/3 के अंशभाग 0.08 हैक्टेयर पर आवेदकगण का अवैध कब्जा बताया गया है, उपरोक्त भूमि आवेदकगण को व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व एवं अधिपत्यधारी घोषित किया गया है । जिसकी पुष्टि माननीय अपर जिला न्यायाधीश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रथम आपत्ति करने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन को विधि विरूद्व तरीके से माननीय व्यवहार न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को अनदेखा करके की गई है । राजस्व न्यायालय पर व्यवहार न्यायालय का निर्णय बंधनकारी है।

6/ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया है । आवेदकगण को सूचनापत्र जारी नहीं किये गये है । उन्हें सीमांकन के समय भी उपस्थित रखने का प्रयास नहीं किया गया है । आवेदकगण द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, उसको भी क्यों अमान्य किया है, उसके संबंध में भी बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । जिसके कारण भी सीमांकन दूषित है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–06–2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हटा द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है । प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल दफ्तर हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर